भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 776

जिसका उत्तर 17.09.2020 को दिया जाना है

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019

776. श्री थोमस चाज़िकाडनः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने और शास्तियों के विरुद्ध विभिन्न राज्य सरकारों से कोई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा क्या आपत्तियां/कारण बताये गए हैं;

(ग) क्या इन राज्यों ने यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए उक्त अधिनियम में किसी संशोधन का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अधिनियम सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम रहा है और यदि हां, तो देश में उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के पहले और बाद में सड़क दुर्घटनाओं की वर्ष-वार तुलनात्मक संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार के पास उक्त अधिनियम में और अधिक संशोधन करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग): मंत्रालय को मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लिए जुर्माना और शास्तियों के संबंध में छत्तीसगढ़ और केरल राज्य सरकारों से प्राप्त सुझाव इस प्रकार हैं:-

(i) केरल राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अपराध की गंभीरता की अनुपातिक दरों पर यौगिक शुल्क निर्धारित करने और शास्ति घटाने तथा अन्य अपराधों के संदर्भ में कारावास, जो इस अधिनियम की धारा 200 के अंतर्गत नहीं आते हैं, के लिए राज्य सरकार को छूट देने हेतु मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए लिखा था।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।

(घ): कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से नियत अवधि के लिए उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, देश में उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले और बाद में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है:-

दुर्घटनाओं और मौतों की माह-वार तुलना						
	दुर्घटनाएं		**वृद्धि/ कमी**	**मौतें**		**वृद्धि/ कमी**
	2018	**2019**		**2018**	**2019**	
अगस्त	35811	34051	-4.91	11040	10710	-2.99
सितंबर	35337	32016	-9.40	10843	10107	-6.79
अक्टूबर	38182	35365	-7.38	12147	11577	-4.69
नवंबर	38366	36866	-3.91	12691	12463	-1.80
दिसंबर	38705	37007	-4.39	13379	12598	-5.84
जोड़ अगस्त-दिसंबर (*)	**186401**	**175305**	**-5.95**	**60100**	**57455**	**-4.40**
	दुर्घटनाएं		**वृद्धि/ कमी**	**मौतें**		**वृद्धि/ कमी**
	2019	**2020**		**2019**	**2020**	
जनवरी	40602	38920	-4.14	13292	12267	-7.71
फरवरी	36726	38472	4.75	12199	12587	3.18
मार्च(#)	38793	31049	-19.96	13155	10538	-19.89
अप्रैल - जून	112215	50336	-55.14	39013	18876	-51.61
जोड़ जनवरी- जून (@)	**230355**	**160797**	**-30.19**	**79678**	**56288**	**-29.35**

(*):त्रिपुरा राज्य के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि 2019 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं

(@): त्रिपुरा और झारखंड राज्यों के आंकड़ों को छोड़कर, क्योंकि ये आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं

(#)जम्मू और कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि ये आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं

(ड.): मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****